भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3719
जिसका उत्तर बुधवार, 29 मार्च, 2017 को दिया जाना है

प्रागा टूल्स लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज

3719. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रागा टूल्स लिमिटेड, तेलंगाना के लिए पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन किया गया है और आई डी पी एल बहुत जल्द ही बन्द होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रागा टूल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज का ब्यौरा क्या है और आई डी पी एल की बन्दी के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रागा टूल्स के पुनरुद्धार पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका उत्पादन कब शुरू होने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): प्रागा टूल्स लिमिटेड के लिए किसी पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन नहीं किया गया है। जहां तक इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) का संबंध है, यह भेषज विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भेषज विभाग ने सूचित किया है कि यह कंपनी लंबे समय से भारी हानि में चल रही है। इस कंपनी को रूग्ण घोषित कर दिया गया था तथा 1992 में इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। आईडीपीएल का पूर्ववर्ती पुनरुद्धार/पुनर्वासन पैकेज अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा है। इसे देखते हुए, सरकार ने आईडीपीएल की उतनी फालतू भूमि की बिक्री का निर्णय लिया है जितनी कंपनी को बंद करने के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बकाया देयताओं का निपटान करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक होगी।

(ग): प्रागा टूल्स लिमिटेड के लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज नहीं है।

******